न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2023/18

1. रामप्रताप आत्मज जगन्नाथ जाति खाती मृतक जर्ये कायम मुकामान–
   1/1 गणेश कुमार आत्मज रामपगताप जाति खाती निवासी ग्राम नीमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)।
   1/2 दुर्गा बाई पुत्री रामप्रताप जाति खाती निवासी ग्राम नीमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)।
   1/3 सीमा बाई पुत्री रामप्रताप जाति खाती निवासी ग्राम नीमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)।
   1/4 ममता बाई पुत्री रामप्रताप जाति खाती निवासी ग्राम नीमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)।
   1/5 गीता बाई पुत्री रामप्रताप जाति खाती निवासी ग्राम नीमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)।
   1/6 दीपिका कुमारी पुत्री रामप्रताप जाति खाती निवासी ग्राम नीमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)।
   1/7 मोहनी बाई पत्नी रामप्रताप जाति खाती निवासी ग्राम नीमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)।
2. मनोहर लाल आत्मज जगन्नाथ जाति खाती निवासी ग्राम नीमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)।

– अपीलांटगण

बनाम

1. कालेश्वर आत्मज राधेश्याम जाति खाती निवासी मोडक स्टेशन (छापडा) मोडक तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)।
2. गीता देवी पत्नी राधेश्याम जाति खाती निवासी मोडक स्टेशन (छापडा) मोडक तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)।
3. माया देवी पुत्री राधेश्याम पत्नी रमेश चन्द जाति खाती हाल निवास ग्राम डोलिया ग्राम पंचायत डोलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।
4. रूकमणी देवी पुत्री राधेश्याम पत्नी रमेश चन्द जाति खाती हाल निवास ग्राम डोलिया ग्राम पंचायत डोलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।
5. जानकी देवी पुत्री राधेश्याम पत्नी दुर्गालाल जाति खाती निवासी ग्राम सीताफल पोस्ट रूण्डलाव ग्राम पंचायत रूण्डलाव तहसील झालरापाटन जिला झालावाड।

6. तारा देवी पत्नी गिर्राज प्रसाद जाति गोस्वामी निवासी केशवपुरा सेक्टर – 7 कोटा।
7. कन्हैयालाल आत्मज जगन्नाथ जाति खाती मृतक जर्ये कायम मुकामान–
   7/1 भंवरलाल आत्मज कन्हैयालाल जाति खाती
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)।

–रेस्पोण्डेन्टगण

अपील संख्या– 2023/59

1. रामप्रताप आत्मज जगन्नाथ जाति खाती मृतक जर्ये कायम मुकामान–
   1/1 गणेश कुमार आत्मज रामपगताप जाति खाती निवासी ग्राम नीमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)।
   1/2 दुर्गा बाई पुत्री रामप्रताप जाति खाती निवासी ग्राम नीमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)।
   1/3 सीमा बाई पुत्री रामप्रताप जाति खाती निवासी ग्राम नीमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)।
   1/4 ममता बाई पुत्री रामप्रताप जाति खाती निवासी ग्राम नीमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)।
   1/5 गीता बाई पुत्री रामप्रताप जाति खाती निवासी ग्राम नीमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)।
   1/6 दीपिका कुमारी पुत्री रामप्रताप जाति खाती निवासी ग्राम नीमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)।
   1/7 मोहनी बाई पत्नी रामप्रताप जाति खाती निवासी ग्राम नीमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)।
2. मनोहर लाल आत्मज जगन्नाथ जाति खाती निवासी ग्राम नीमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)।

– अपीलांटगण

बनाम

1. कालेश्वर आत्मज राधेश्याम जाति खाती निवासी मोडक स्टेशन (छापडा) मोडक तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)।
2. गीता देवी पत्नी राधेश्याम जाति खाती निवासी मोडक स्टेशन (छापडा) मोडक तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)।
3. माया देवी पुत्री राधेश्याम पत्नी रमेश चन्द जाति खाती हाल निवास ग्राम डोलिया ग्राम पंचायत डोलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।
4. रूकमणी देवी पुत्री राधेश्याम पत्नी रमेश चन्द जाति खाती हाल निवास ग्राम डोलिया ग्राम पंचायत डोलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।

5. जानकी देवी पुत्री राधेश्याम पत्नी दुर्गालाल जाति खाती निवासी ग्राम सीताफल पोस्ट रूण्डलाव ग्राम पंचायत रूण्डलाव तहसील झालरापाटन जिला झालावाड।
6. तारा देवी पत्नी गिर्राज प्रसाद जाति गोस्वामी निवासी केशवपुरा सेक्टर – 7 कोटा।
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)।
8. भंवरलाल आत्मज कन्हैयालाल जाति खाती निवासी नीमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–1. श्री घनश्याम नागर – अधिवक्ता अपीलांट की ओर से दोनों अपीलों में
2.श्री रविन्द्र खण्डेलवाल – अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट कम 01 व 02 की ओर से दोनों अपीलों में।

निर्णय दिनांक 05.09.2023

1. अपीलांट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 108/2022 मे पारित निर्णय व डिकी दिनांक 07.10.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। चूंकि दोनों अपीलें एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने तथा दोनों प्रकरणों की विषय वस्तु एक समान होने तथा समान पक्षकार होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादी रेस्पो0 कम 01 से 05 द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 53, 54, 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि वादीगण के पिता एवं पति स्व0 राधेश्याम जी व प्रतिवादी कम 01, 02 व 03 सगे भाई है जिनके शामलाती खाते की आराजी ग्राम निमाणा पटवार क्षेत्र पीपाखेडी तहसील रामगंजमण्डी में स्थित है। उक्त आराजी शामलाती खाते की स्थित है जो निम्नानुसार है– खाता सं0 नया 188 पुराना 183 की ख0 नं0 413 की रकबा 1.91 हैक्टेयर, खसरा नं0 708 की रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नं0 709 की रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नं0 716 की रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नं0 717 की रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नं0 720 की रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नं0 874 की रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नं0 878 की रकबा 2.00 हैक्टेयर तथा खाता सं0 187 नया पुराना 182 की खसरा नं0 718 की रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 09 की कुल रकबा 5.09 हैक्टेयर आराजी स्थित है। जिसकी नकल जमाबंदी साथ संलग्न है। वादीगण

अपने पिता स्व0 राधेश्याम जी के जीवनकाल से ही अपने हिस्से की 1/4 आराजी पर बतौर मालिक काबिज काश्त करते चले आ रहे है। परन्तु उक्त शामलाती खाता होने की वजह से प्रतिवादीगण वादीगण को नाजायज रूप से परेशान करते हैं तथा वादीगण के हिस्से 1/4 को खुर्द बुर्द करने पर आमादा होते हैं। प्रतिवादी कम 02 रामप्रताप ने अपने हिस्से की आराजी में से 12 बिस्वा आराजी प्रतिवादी कमांक 04 तारा देवी को बैचान कर दी है। तथा बैचान बाबत् सहमति स्वरूप सभी खातेदार ने हस्ताक्षर किये थे तथा इस बाबत् एक इकरारनामा दिनांक 03.08.2000 को आलेखित किया था। जिसकी नकल वाद पत्र के साथ संलग्न है। प्रतिवादीगण आए दिन वादीगण के हिस्से की आराजी को खुर्द बुर्द करने व बैचान करने के लिए आमादा हो रहे है तथा आए दिन वादीगण को धमकाते है कि तुम हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। हम सारी जमीन बेच देगे। वादीगण को अब आवश्यक हो गया है कि वह माननीय न्यायालय से उक्त शामलाती खाते का नियमानुसार विधिवत बंटवारा करावे तथा माननीय न्यायालय से इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी करावे कि प्रतिवादीगण वादीगण के हिस्से की 1/4 आराजी को खुर्द बुर्द न करे तथा बेजा मदाहलखत मजाहमत ना करे तथा वादीगण को उनके 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित कर खाता एवं लगान पृथक से दर्ज किया जावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। तथा वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण के शामलाती कब्जे खातेदारी की विवादित आराजी में वादीगण का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण 01, 02, 03 प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा कर विवादित भूमि में खातेदारों के हिस्से अनुसार विभाजन किये जाने के आदेश किये गए। तहसीलदार रामगंजमण्डी से विभाजन प्रस्ताव तलब करने हेतु तहरीर जारी कर पत्रावली दिनांक 12.10.2022 को पेश करने व तदनुसार प्राथमिक डिकी बनाये जाने के आदेश दिये गये।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व व प्रारंभिक डिकी दिनांक 12.10.2022 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में दो पृथक अपीलें प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 12.10.2022 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारंभिक डिकी दिनांक 12.10.2022 निरस्त किये जावें ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दोनों अपीले मियाद बाहर होने से अपीलों के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दोनों अपीले मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित

रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

6. अपीलान्ट ने दोनों अपीलों के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश व डिकी दिनांक 07.10.2022 की जानकारी दिनांक 19.10.2022 को वकील साहब से होने पर नकल का आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर नकल दिनांक 22.12.2022 को निरंतर संपर्क करने के बाद बडी मुश्किल से प्राप्त हुई। इस प्रकार नकल लेने में लगे समय को कन्डोन करने से अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील प्रस्तुत करने में हुई विलंब अवधि को क्षम्य कर उक्त दोनों अपीलों को अवधि मध्य स्वीकार करने का निवेदन किया।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से दोनों अपीलों में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्रों में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में अपीलांटगण की ओर से दोनो अपीलों के साथ प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ–पत्र स्वीकार किये जाते है। दोनों अपीलें प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा दोनो अपीलें अंदर मियाद शुमार की जाती है।

8. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि माननीय अधीनस्थ न्यवायालय का आदेश विधि न्याय एवं संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरित है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही रेस्पो0 01 लगायत 05 द्वारा प्रस्तुत वाद को अपीलांट के विरूद्ध डिकी कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं कानूनी नजीरों का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही वादीगण का वाद डिकी कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि ग्राम नीमाना तहसील रामगंजमण्डी स्थित कुल 09 किता की 5.09 हैक्टेयर आराजी पारिवारिक विभाजन वर्ष 1994 के अनुसार अपीलांट को प्राप्त हुए जिस पर बाद पारिवारिक विभाजन से अपीलांट काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त तथ्य अपीलांट द्वारा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित कर देने के बावजुद भी वादीगण का वाद डिकी कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि वादीगण के पिता एवं पति राधेश्याम जी आत्मज

जगन्नाथ जी को जगन्नाथ जी द्वारा वर्ष 1977 में मांगीलाल जी पटेल से उधार लेकर खातेदार कजोड खाती से राधेश्याम जी के नाम विक्रय पत्र का पंजीयन कराया। उक्त पारिवारिक विभाजन में ग्राम हरिपुरा तहसील रामगंजमण्डी स्थित खातेदार कजोड से खरीद की गई आराजी वादीगण के पिता एवं पति राधेश्याम जी को एवं ग्राम नीमाना की जमीन अपीलांट को प्राप्त हुई जिसके अनुसार वर्ष 1994 के बाद से वादीगण एवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त तथ्य वादीगण एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत गवाहान ने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया है। इस प्रकार पारिवारिक विभाजन अनुसार ग्राम नीमाणा स्थित आराजी में वादीगण का कोई कब्जा व स्वत्व निहित नहीं रहा है। इसके उपरांत भी वादीगण का वाद डिक्री कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि वादीगण के पिता व पति जब तक जिन्दा रहे उनके द्वारा पारिवारिक विभाजन को स्वीकार किया गया और ग्राम नीमाणा स्थित आराजी पर कब्जे एवं उपयोग व उपभोग के बारे में कभी अपना अधिकार प्रकट नहीं किया। उनके वर्ष 2011 में स्वर्गवास के बाद वादीगण के मन में बदनियती आ जाने से असत्य तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा स्वयं की साक्ष्य व गवाहान के बयानों से साबित किया कि पारिवारिक बंटवारा अनुसार ग्राम नीमाणा की जमीन का उपयोग एवं उपभोग प्रतिवादीगण एवं ग्राम हरिपुरा की आराजी का उपयोग वादीगण के पिता एवं पति राधेश्या मजी द्वारा किया जाता रहा है। किन्तु उसके उपरांत भी वादीगण का वाद डिक्री कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि वादीगण के पिता एवं पति राधेश्या मजी के नाम खरीद की गई आराजी जो पारिवारिक सहमति में राधेश्याम जी को प्राप्त हुई थी का बेचान रामकंवरी को कर दिया। उक्त आराजी बेचने के बाद वादीगण के मन में बदनियती आ जाने से असत्य तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया जिसका खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा करने के बावजुद भी वादीगण का वाद डिक्री कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा अपनी साक्ष्य में यह प्रमाणित कर दिया कि ग्राम हरिपुरा की जमीन जगन्नाथ आत्मज चतुर्भुज जी द्वारा राशि खर्च कर अपने पुत्र राधेश्याम के नाम से खरीद की है। उक्त आराजी राधेश्याम के नाम पर होने से पारिवारिक विभाजन में राधेध्याम जी को प्रदान की तथा ग्राम नीमाणा की आराजी अपीलांट को प्रदान की और मौके पर इसी प्रकार काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त तथ्य अपीलांट द्वारा साबित कर देने के बावजूद भी वादीगण का वाद डिक्री कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कायमी तनकीयात का गुणावगुण पर एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार निर्णित नहीं कर विधि के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 01 लगायत 06 का अपीलांट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किये बिना ही वादीगण के पक्ष में निर्णित कर वादीगण का वाद डिक्री कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। साथ ही अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत

कर निवेदन किया कि वादीगण का नाम नीमाणा स्थित आराजी से हटाया जाकर अपीलांट को संपूर्ण आराजी का खातेदार घोषित किया जावे। अन्त मे दोनों अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.10.2022 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

9. अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट ने अपनी बहस मे कथन किया कि हमने अधीनस्थ न्यायालय में वाद दोनो ग्रामों की जमाबंदी राजस्व रिकॉर्ड अनुसार प्रस्तुत किया है। हमें पिता से भूमि प्राप्त हुई है जिसका बंटवारा करवाना कानूनन सही है। अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जो काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया उसे ये साबित करने में असफल रहे। मौखिक विभाजन के सम्बंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहने से अधीनस्थ न्यायालय में इनका काउंटर क्लेम खारिज किया गया। हम रिकॉर्डेड खातेदार है। अंतिम डिक्री में सभी को नियमानुसार हिस्सा दिया गया है। अंत में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनों अपीले खारिज फरमाने का निवेदन किया और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारंभिक डिक्री दिनांक 23.05.2016 व अंतिम डिक्री दिनांक 04.08.2016 को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

10. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने कुल 7 तनकीयात कायम की है तथा प्रत्येक तनकी पर अपना निष्कर्ष पारित किया है। तनकी संख्या 1, 2 व 6 इस प्रकार है– तनकी नं. 1:– "आया वादीगण वादग्रस्त आराजीयात ग्राम निमाना में हिस्सा 1/4 के खातेदार घोषित होकर अपना खाता व लगान पृथक कराने के हकदार है।जिम्मे वादीगण।" तनकी नं. 2:– "आया वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वांछित स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है।जिम्मे वादीगण।" तनकी नं. 6:– "आया ग्राम हरिपुरा की भूमि वादीगण के पिता/पति की स्वअर्जित भूमि होने से काउंटर क्लेम प्रति0 काबिल खारिज है। जिम्मे प्रतिवादीगण।" उक्त तीनो तनकीयात में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निष्कर्ष इस प्रकार है, "तनकी संख्या 1, 2, 6 आपस में सम्बंधित होने से इनका विवेचन एक साथ किया जा रहा है। उक्त तनकी के समर्थन में वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य खाते जमाबंदी की नकलें प्रस्तुत की जिसमें सभी पक्षकारान का बराबर–बराबर हिस्सा दर्शित है, इसके समर्थन में वादीगण द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य भी दिये गये। प्रतिवादीगण द्वारा अपने साक्ष्य में भी यह स्वीकार किया गया कि उक्त दस्तावेज शामलाती खाते के है तथा इनके द्वारा कोई विभाजन अभी तक नहीं कराया गया है जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के शामलाती कब्जे खातेदारी में है तथा शामलाती खातेदारी में पुश्तैनी पारिवारिक सम्पत्ति होने से सबका समान कब्जा इस भूमि पर माना जावेगा, जिस कारण वादीगण 1/4 हिस्सा(प्रत्येक का 1/20 हिस्सा) घोषित किये जाने तथा उसी अनुसार खाता पृथक किये जाने के अधिकारी है। उक्त

तनकीयों वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।" हमारे समक्ष ग्राम निमाणा के राजस्व रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण इस विवादित आराजी के सहखातेदार है तथा सहखातेदार को नियमानुसार विभाजन करवाने का अधिकार है। प्रतिवादीगण द्वारा कथित पारिवारिक विभाजन को प्रतिवादी साबित करने में असफल रहे है। अतः प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड अनुसार तनकी संख्या 1 व 2 तथा 6 में पारित निष्कर्ष उचित है। तनकी संख्या 3, 4, 5 इस प्रकार है:– तनकी नं. 3:– "आया सन् 1994 में पारिवारिक विभाजन में वादीगण के पिता/पति को ग्राम हरिपुरा तथा प्रति. 1 ला 3 को ग्राम निमाना(विवादित भूमि) की आराजी प्राप्त हुई थी। जिम्मे प्रतिवादीगण।" तनकी नं. 4:– "आया ग्राम हरिपुरा की जो भूमि वादीगण के पिता/पति को हिस्से में दी गई थी उसे वे खुर्द–बुर्द कर चुके है। राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम दिखावटी है। जिम्मे प्रतिवादीगण:–1 ला 3।" तनकी नं. 5:– "आया प्रतिवादीगण 1 ला 5 विवादित भूमि के हिस्सा 1/3 के अनुसार खातेदार घोषित होने के हकदार है। जिम्मे प्रतिवादीगण:– 1 ला 3।" तनकी नं. 6:– "आया ग्राम हरिपुरा की भूमि वादीगण के पिता/पति की स्वअर्जित भूमि होने से काउन्टर क्लेम प्रति0 काबिल खारिज है। जिम्मे प्रतिवादीगण।" उक्त तीनो तनकीयात में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निष्कर्ष इस प्रकार है, "उक्त तनकी के समर्थन में वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य दोबडा के खाते जमाबंदी की नकल, रजिस्ट्री एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की, किन्तु उनकी साक्ष्य से ही स्पष्ट है कि वादीगण के पिता एवं पति राधेश्याम द्वारा ग्राम दोबडा तहसील लाडपुरा की भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र क्रय की गई थी तथा उस समय वह नौकरी में भी थे, जिस कारण उनकी स्वयं की कमाई से उक्त सम्पत्ति क्रय किया जाना स्पष्ट रूप से साबित होता है, प्रतिवादीगण द्वारा कोई भी ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि उक्त शामलाती पुश्तैनी सम्पत्ति हो, मौखिक साक्ष्य से दस्तावेजी साक्ष्य को नहीं काटा जा सकता। इस कारण उक्त तनकीयों प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है और प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज किये जाने योग्य है।" हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित तनकी संख्या 3 से 5 व उनमें पारित निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया। अपीलांटगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के पिता व पति राधेश्याम की खाते की ग्राम दोबडा तहसील लाडपुरा की आराजी उसे पैतृक सम्पत्ति के रूप में प्राप्त हुई हो। साथ ही ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य की अपीलांटगण ने प्रस्तुत नहीं किया है जिससे राधेश्याम की खाते की ग्राम दोबडा की भूमि का पैतृक सम्पत्ति होना प्रमाणित होता हो। हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेज प्रदर्श 3A का अवलोकन किया जिसके अनुसार ग्राम हरिपुरा तहसील लाडपुरा की किता 8 रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा भूमि कजोड़ आत्मज लाला द्वारा राधेश्याम आत्मज जगन्नाथ को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय किया जाना अंकित है। हमारे मत में ग्राम

हरिपुरा की उक्त भूमि राधेश्याम की कयशुदा भूमि है। अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत काउंटर क्लेम में उनके द्वारा ग्राम हरिपुरा की भूमि को पारिवारिक विभाजन में राधेश्याम को दिया जाने के आधार पर ग्राम निमाणा की आराजी में राधेश्याम कोई हक अधिकार नहीं होने का कथन किया है तथा ग्राम निमाणा की समस्त भूमि में केवल प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 का प्रत्येक का पृथक-पृथक 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा है। तनकी संख्या 3 में जिस पारिवारिक विभाजन 1994 का कथन किय गया है उसे साबित करने में प्रतिवादीगण अपीलांटगण असफल रहे है। सन् 1994 के पारिवारिक विभाजन को लेकर हमारे समक्ष कोई ठोस साक्ष्य/दस्तावेज नहीं है। ऐसी स्थिति में वादीगण को राजस्व रिकॉर्ड अनुसार प्राप्त भूमि से वंचित नहीं किया जा सकता। जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है, दस्तावेज प्रदर्श-3A से स्पष्ट है कि ग्राम हरिपुरा की भूमि वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 5 के पिता राधेश्याम की स्वयं की कयशुदा भूमि है। साक्ष्य में मौखिक कथनों की बजाय लिखित दस्तावेज अधिक विश्वसनीय होते है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 3 से 5 में जो निष्कर्ष पारित किया है वह विधि सम्मत है तथा हम उससे सहमत है। हमारे समक्ष अपील में भी ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ जिससे कथित पारिवारिक विभाजन साबित होता हो। अतः अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत काउंटर क्लेम खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजों, साक्ष्यों, गवाहों, बयानों आदि के आधार पर निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 1, 2 व 6 को एक साथ तथा तनकी संख्या 3 से 5 को एक साथ निर्णित किया है। उक्त तनकियों में पारित निष्कर्ष से हम सहमत है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी दिनांक 07.10.2022 विधि सम्मत है तथा अपील अपीलांट खारिज किया जाना उचित है।

11. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीलें (अपील संख्या 2023/18 एवं अपील संख्या 2023/59) खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 108/2022 मे पारित निर्णय व डिकी दिनांक 07.10.2022 यथावत रखे जाते है।

12. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावे।

13. निर्णय आज दिनांक 05.09.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिकी

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या– 2023/18

1. रामप्रताप आत्मज जगन्नाथ जाति खाती मृतक जर्ये कायम मुकामान–
   1/1 गणेश कुमार आत्मज रामपगताप जाति खाती निवासी ग्राम नीमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)
   1/2 दुर्गा बाई पुत्री रामप्रताप जाति खाती निवासी ग्राम नीमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)
   1/3 सीमा बाई पुत्री रामप्रताप जाति खाती निवासी ग्राम नीमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)
   1/4 ममता बाई पुत्री रामप्रताप जाति खाती निवासी ग्राम नीमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)
   1/5 गीता बाई पुत्री रामप्रताप जाति खाती निवासी ग्राम नीमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)
   1/6 दीपिका कुमारी पुत्री रामप्रताप जाति खाती निवासी ग्राम नीमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)
   1/7 मोहनी बाई पत्नी रामप्रताप जाति खाती निवासी ग्राम नीमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)
2. मनोहर लाल आत्मज जगन्नाथ जाति खाती निवासी ग्राम नीमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

– अपीलांटगण

बनाम

1. कालेश्वर आत्मज राधेश्याम जाति खाती निवासी मोडक स्टेशन (छापडा) मोडक तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)
2. गीता देवी पत्नी राधेश्याम जाति खाती निवासी मोडक स्टेशन (छापडा) मोडक तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)
3. माया देवी पुत्री राधेश्याम पत्नी रमेश चन्द जाति खाती हाल निवास ग्राम डोलिया ग्राम पंचायत डोलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)
4. रूकमणी देवी पुत्री राधेश्याम पत्नी रमेश चन्द जाति खाती हाल निवास ग्राम डोलिया ग्राम पंचायत डोलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)
5. जानकी देवी पुत्री राधेश्याम पत्नी दुर्गालाल जाति खाती निवासी ग्राम सीताफल पोस्ट रूण्डलाव ग्राम पंचायत रूण्डलाव तहसील झालरापाटन जिला झालावाड।
6. तारा देवी पत्नी गिर्राज प्रसाद जाति गोस्वामी निवासी केशवपुरा सेक्टर – 7 कोटा।
7. कन्हैयालाल आत्मज जगन्नाथ जाति खाती मृतक जर्ये कायम मुकामान–
   7/1 भंवरलाल आत्मज कन्हैयालाल जाति खाती
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

–रेस्पोडेन्टगण

रे. प्र. संख्या: 108/2012

1. कालेश्वर आत्मज राधेश्याम जाति खाती निवासी मोडक स्टेशन (छापडा) मोडक तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)
2. गीता देवी पत्नी राधेश्याम जाति खाती निवासी मोडक स्टेशन (छापडा) मोडक तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)
3. माया देवी पुत्री राधेश्याम पत्नी रमेश चन्द जाति खाती निवासी मोडक स्टेशन (छापडा) मोडक तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)
4. रूकमणी देवी पुत्री राधेश्याम पत्नी रमेश चन्द जाति खाती निवासी मोडक स्टेशन (छापडा) मोडक तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)
5. जानकी देवी पुत्री राधेश्याम पत्नी दुर्गालाल जाति खाती निवासी मोडक स्टेशन (छापडा) मोडक तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)

– वादी

बनाम

1. कन्हैयालाल वल्द जगन्नाथ जाति खाती मृतक निवासी निमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

   1/1 भंवरलाल वल्द कन्हैयालाल जाति खाती निवासी निमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)
2. रामप्रताप वल्द जगन्नाथ जाति खाती मृतक

   2/1 गणेश कुमार पुत्र स्व0 रामप्रताप जाति खाती निवासी निमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

   2/2 दुर्गाबाई पुत्री स्व0 रामप्रताप जाति खाती निवासी निमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

   2/3 सीमाबाई पुत्री स्व0 रामप्रताप जाति खाती निवासी निमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

   2/4 ममताबाई पुत्री स्व0 रामप्रताप जाति खाती निवासी निमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

   2/5 गीताबाई पुत्री स्व0 रामप्रताप जाति खाती निवासी निमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

   2/6 दिपीका कुमारी पुत्री स्व0 रामप्रताप जाति खाती निवासी निमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

   2/7 माहनी बाई पत्नि स्व0 रामप्रताप जाति खाती निवासी निमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)
3. मनोहर वल्द जगन्नाथ जाति खाती निवासी निमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)
4. तारदेवी पत्नि गिरिराज प्रसाद जाति गोस्वामी निवासी केशवपुरा सेक्टर–7 कोटा (राज0)
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

अपील संख्या– 2023/59

1. रामप्रताप आत्मज जगन्नाथ जाति खाती मृतक जर्ये कायम मुकामान–
   1/1 गणेश कुमार आत्मज रामपगताप जाति खाती निवासी ग्राम नीमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)
   1/2 दुर्गा बाई पुत्री रामप्रताप जाति खाती निवासी ग्राम नीमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)
   1/3 सीमा बाई पुत्री रामप्रताप जाति खाती निवासी ग्राम नीमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)
   1/4 ममता बाई पुत्री रामप्रताप जाति खाती निवासी ग्राम नीमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)
   1/5 गीता बाई पुत्री रामप्रताप जाति खाती निवासी ग्राम नीमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)
   1/6 दीपिका कुमारी पुत्री रामप्रताप जाति खाती निवासी ग्राम नीमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)
   1/7 मोहनी बाई पत्नी रामप्रताप जाति खाती निवासी ग्राम नीमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)
2. मनोहर लाल आत्मज जगन्नाथ जाति खाती निवासी ग्राम नीमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

– अपीलांटगण

बनाम

1. कालेश्वर आत्मज राधेश्याम जाति खाती निवासी मोडक स्टेशन (छापडा) मोडक तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)
2. गीता देवी पत्नी राधेश्याम जाति खाती निवासी मोडक स्टेशन (छापडा) मोडक तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)
3. माया देवी पुत्री राधेश्याम पत्नी रमेश चन्द जाति खाती हाल निवास ग्राम डोलिया ग्राम पंचायत डोलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)
4. रूकमणी देवी पुत्री राधेश्याम पत्नी रमेश चन्द जाति खाती हाल निवास ग्राम डोलिया ग्राम पंचायत डोलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)
5. जानकी देवी पुत्री राधेश्याम पत्नी दुर्गालाल जाति खाती निवासी ग्राम सीताफल पोस्ट रूण्डलाव ग्राम पंचायत रूण्डलाव तहसील झालरापाटन जिला झालावाड।
6. तारा देवी पत्नी गिर्राज प्रसाद जाति गोस्वामी निवासी केशवपुरा सेक्टर – 7 कोटा।
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)
8. कन्हैयालाल आत्मज जगन्नाथ जाति खाती मृतक जर्ये कायम मुकामान–
   8/1 भंवरलाल आत्मज कन्हैयालाल जाति खाती निवासी नीमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

–रेस्पोडेन्टगण

रे. प्र. संख्याः 108/2012

1. कालेश्वर आत्मज राधेश्याम जाति खाती निवासी मोडक स्टेशन (छापडा) मोडक तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)
2. गीता देवी पत्नी राधेश्याम जाति खाती निवासी मोडक स्टेशन (छापडा) मोडक तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)

3. माया देवी पुत्री राधेश्याम पत्नी रमेश चन्द जाति खाती निवासी मोडक स्टेशन (छापडा) मोडक तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)
4. रूकमणी देवी पुत्री राधेश्याम पत्नी रमेश चन्द जाति खाती निवासी मोडक स्टेशन (छापडा) मोडक तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)
5. जानकी देवी पुत्री राधेश्याम पत्नी दुर्गालाल जाति खाती निवासी मोडक स्टेशन (छापडा) मोडक तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज0)

– वादी

बनाम

1. कन्हैयालाल वल्द जगन्नाथ जाति खाती मृतक निवासी निमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)
   1/1 भंवरलाल वल्द कन्हैयालाल जाति खाती निवासी निमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)
2. रामप्रताप वल्द जगन्नाथ जाति खाती मृतक
   2/1 गणेश कुमार पुत्र स्व0 रामप्रताप जाति खाती निवासी निमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)
   2/2 दुर्गाबाई पुत्री स्व0 रामप्रताप जाति खाती निवासी निमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)
   2/3 सीमाबाई पुत्री स्व0 रामप्रताप जाति खाती निवासी निमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)
   2/4 ममताबाई पुत्री स्व0 रामप्रताप जाति खाती निवासी निमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)
   2/5 गीताबाई पुत्री स्व0 रामप्रताप जाति खाती निवासी निमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)
   2/6 दिपीका कुमारी पुत्री स्व0 रामप्रताप जाति खाती निवासी निमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)
   2/7 माहनी बाई पत्नि स्व0 रामप्रताप जाति खाती निवासी निमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)
3. मनोहर वल्द जगन्नाथ जाति खाती निवासी निमाना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)
4. तारदेवी पत्नि गिरिराज प्रसाद जाति गोस्वामी निवासी केशवपुरा सेक्टर–7 कोटा (राज0)
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

–प्रतिवादीगण

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त रे. प्र. संख्या 108/2012 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी, जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.10.2022 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः दोनों अपीले अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. उक्त दोनों अपीले तारीख 05.09.2023 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में विद्वान् अभिभाषक श्री घनश्याम नागर, एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 01 व 02 की ओर से दोनों अपीलों में श्री रविन्द्र खण्डेलवाल के उपस्थित होने पर यह आदेश दिया कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दोनों अपीले खारीज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 108/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.10.2022 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 05.09.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा